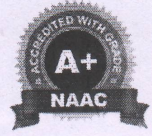




डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

(Accredited Grade A+ by NAAC)



पत्रांक: COE/355/2026

दिनांक-24-08-2026

सेवा में,

निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/प्राचार्या,
आवासीय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय: माननीय मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अन्तर्गत पात्र छात्राओं का आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन के निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी माननीय मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अन्तर्गत आवासीय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत पात्र महिला छात्राओं के नाम से आय प्रमाण पत्र स्वीकार किए जाने के संबंध में आदेश संख्या: सी०ओ०ई०/353/2026 दिनांक 23.08.2026 जारी किया गया था परंतु आज दिनांक 24.08.2026 को हुई ऑनलाइन बैठक में शासन द्वारा छात्रा अथवा अभिभावक दोनों में से किसी का भी आय प्रमाण पत्र स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। अतः अनुरोध है कि आवेदक छात्रा अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण-पत्र का क्रमांक अंकित किया जाएगा तथा छात्रा के आय प्रमाण-पत्र की प्रति अपलोड की जाएगी।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभारी, कुलपति सचिवालय को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
3. प्रो० अनिल गुप्ता, नोडल अधिकारी।
4. वित्त अधिकारी कार्यालय।
5. जन सम्पर्क अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त महत्वपूर्ण सूचना को छात्रहित में निःशुल्क समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. प्रभारी, वेबसाइट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. एजेन्सी 2025-26 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त आदेश के अनुसार महाविद्यालयों की लॉगिन आई०डी० पर आवश्यक लिंक उपलब्ध कराते हुए ऑनलाइन सूचना अंकित/अभिलेख अपलोड करने की सुविधा तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं उक्त सूचना को संस्थान/महाविद्यालयों की लॉगिन आई०डी० पर आज ही अपलोड करें।
8. गार्ड फाइल।

परीक्षा नियंत्रक